(305)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकःप 6(64)नविवि/3/2013 जयपुर,दिनांकः 4 OCT 2013

आयुक्त,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः–जविप्रा की सेज पुनर्वास योजना में लॉटरी से प्रभावित खातेदारो/हितधासरियो को आवंटित कार्नर भूखण्ड तथा भूखण्डो के बढ़े हुए क्षेत्रफल के आवंटन के सम्बन्ध में एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने वाला एजेण्डा नोट।

संदर्भः–उपायुक्त जोन–15 का पत्रांक जविप्रा/उपा./जोन–15/2013/डी–2094 दिनांक 1.10.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत सेज पुनर्वास योजना में कार्नर भूखण्डो के आवंटन एवं बढ़े हुए क्षेत्रफल के आवंटन के सम्बन्ध में प्रकरण नगरीय विकास विभाग के लिए गठित एम्पावर्ड समिति की ग्यारहवी बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निर्देशित किया जाता है कि सेज पुनर्वास योजनाओ में लॉटरी द्वारा आवंटित कार्नर भूखण्डो में लीज डीड जारी करने की कार्यवाही की जावे। आवंटित भूखण्डो में अतिरिक्त भूमि होने की दशा में यदि उसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजन किया जाना संभव हो, तो सृजित कर नियमानुसार उसका निस्तारण किया जावें। यदि स्वतंत्र भूखण्ड सृजित किया जाना संभव नहीं हो तो अतिरिक्त भूमि की कीमत आरक्षित दर अथवा डीएलसी दर (जो भी अधिक हो) से ली जाकर लीज डीड जारी किये जाने की कार्यवाही की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

Seen
AC (PRH)
DC-15

DC-15

17-10-13

ACT (PRH)
1771